

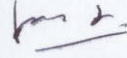
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (K-265) अलेसे- I/ 313

दिनांक:- 25.07.19

कार्यालय आदेश

श्री कैलाश चन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, (लिंक नम्बर 1159) द्वारा इस निदेशालय में दिनांक 31.05.2019 को मध्याह्न पश्चात् आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति दी गई थी। जिसके कम में विभागीय आदेश संख्या 408/2019-20 दिनांक 07.06.2019 के द्वारा इनका पदस्थापन संयुक्त निदेशक, कृषि, जयपुर खण्ड जयपुर में किया गया था। श्री शर्मा द्वारा दिनांक 07.06.2019 को मध्याह्न पश्चात् नव पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण कर लिया गया, लेकिन नव पदस्थापन कार्यालय में दिनांक 01.06.2019 से 10.06.2019 तक अन्य सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I का वेतन आहरित करने के कारण श्री शर्मा का उक्त अवधि का वेतन आहरण नहीं हो सका है। अतः श्री शर्मा की दिनांक 01.06.2019 से 07.06.2019 तक आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (बी) (111) के अन्तर्गत कर्तव्य पर मानते हुये दिनांक 01.06.2019 से 10.06.2019 तक के वेतन का भुगतान निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर से आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

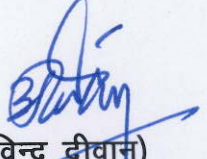

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (K-265) अलेसे- I/ 313

दिनांक:- 25.07.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) कार्यालय हाजा
2. संयुक्त निदेशक, कृषि, जयपुर खण्ड जयपुर
3. श्री कैलाश चन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि, जयपुर खण्ड जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक(एसीपी), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में Updation करने हेतु।
6. गार्ड फाईल/निजी पत्रावली।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)